

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

बाजार-लंकिड सेवानवित्तबिचत योजना

योजना अवलोकन

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) PFRDA (पेंशन फंड नयामक और वकिस प्राधकिरण) द्वारा वनियमति एक स्वैच्छकि, परभाषति योगदान सेवानवित्तबिचत योजना है। NPS नविश वकिल्पो में लचीलापन और आकर्षक कर लाभों के साथ बाजार-लंकिड रटिरन प्रदान करता है। यह व्यवस्थति बचत के माध्यम से व्यक्तियों को सेवानवित्तकोष बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन कया गया है।

मुख्य वशिषताएं

वशिषता	ववरण
रटिरन	बाजार-लंकिड रटिरन (आमतौर पर 8-12% प्रतर्विर्ष ऐतहिसकि रूप से) रटिरन घुने गए परसिपत्तआवंटन पर नरिभर करता है
नविश राशति	न्यूनतम: Rs. 500 प्रतर्विर्ष न्यूनतम: Rs. 1,000 प्रतर्विर्ष कोई अधिकतम सीमा नहीं
खाता प्रकार	Tier-I (पेंशन खाता): अनविर्य, कर लाभ Tier-II (बचत खाता): वैकल्पकि, कोई कर लाभ नहीं
कर लाभ	Tier-I: Rs. 1.5 लाख तक (80C) + Rs. 50,000 (80CCD(1B)) Tier-II: कोई कर लाभ नहीं
नकिसी	Tier-I: 60 वर्ष पर 60% नकिसी (कर योग्य) 40% को एन्युइटी खरीदने के लिए उपयोग करना होगा (कर-मुक्त) Tier-II: लचीली नकिसी
जोखमि प्रोफाइल	बाजार-लंकिड - रटिरन परसिपत्तआवंटन के आधार पर भन्नि होता है इक्वटी एक्सपोजर 75% तक (50 वर्ष तक), 50% (50 वर्ष के बाद)
पेंशन	60% नकिला जा सकता है, 40% नयिमति पेंशन के लिए एन्युइटी खरीदने के लिए उपयोग कया जाता है

पात्रता मानदंड

- आयु: 18 से 70 वर्ष (नया खाता खोलने के लिए)
- नवास: भारतीय नागरकि (नविसी और NRI) NPS खाता खोल सकते हैं
- दस्तावेज: PAN कार्ड (अनविर्य), आधार कार्ड, पता प्रमाण और फोटो
- KYC: पूर्ण KYC सत्यापन आवश्यक
- कई खाते: प्रतर्व्यक्तिकेवल एक NPS खाता (PRAN - स्थायी सेवानवित्तखाता संख्या)

नविश वकिल्प और परसिंपत्तआवंटन

परसिंपत्तविर्गः

- इक्विटी (E): स्टॉक में नविश - उच्च जोखिम, उच्च रटिर्न क्षमता
- कॉर्पोरेट बॉन्ड (C): कॉर्पोरेट ऋण में नविश - मध्यम जोखिम
- सरकारी प्रतभूतियां (G): सरकारी बॉन्ड में नविश - कम जोखिम
- वैकल्पिक नविश फंड (A): REITs, InvITs - 5% तक आवंटन

नविश वकिल्पः

- ऑटो चॉइस (लाइफसाइकल फंड): आयु के आधार पर परसिंपत्तआवंटन स्वचालित रूप से समायोजित
- एक्टिव चॉइस: आप परसिंपत्तआवंटन तय करते हैं (इक्विटी: 0-75% 50 वर्ष तक, 0-50% 50 वर्ष के बाद)
- डिफॉल्ट वकिल्प: यदि कोई वकिल्प नहीं बनाया गया है, तो ऑटो चॉइस चुना जाता है

कर लाभ

- Section 80C: प्रतर्विष Rs. 1.5 लाख तक के योगदान कटौती के लिए योग्य हैं (केवल Tier-I)
- Section 80CCD(1B): प्रतर्विष Rs. 50,000 की अतिरिक्त कटौती (80C सीमा के अतिरिक्त)
- नियोक्ता योगदान: वेतन का 10% तक नियोक्ता योगदान कर-मुक्त है (80CCD(2))
- परपिक्वता: एन्युइटी खरीदने के लिए उपयोग किए गए कोष का 40% कर-मुक्त है
- नकिासी: 60 वर्ष पर 60% नकिासी आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य है
- समय से पहले नकिासी: 3 वर्ष बाद 20% नकिासी की अनुमति (80% को एन्युइटी खरीदनी होगी)

नकिासी नियम

परदृश्य	नकिासी राशि	एन्युइटी आवश्यकता	कर उपचार
60 वर्ष पर (सामान्य)	कोष का 60%	40% को एन्युइटी खरीदनी होगी	60% कर योग्य, एन्युइटी कर-मुक्त
समय से पहले (3 वर्ष बाद)	कोष का 20%	80% को एन्युइटी खरीदनी होगी	20% कर योग्य, एन्युइटी कर-मुक्त
मृत्यु	नामांकित व्यक्ति को 100%	कोई एन्युइटी आवश्यक नहीं	नामांकित व्यक्ति के लिए कर-मुक्त
Tier-II खाता	कभी भी 100%	कोई एन्युइटी आवश्यक नहीं	कोई कर लाभ नहीं

खाता खोलने की प्रक्रिया

चरण 1: POP चुनें

पॉइंट ऑफ प्रोजेस (POP) चुनें - सन नेशनल बैंक शाखा या ऑनलाइन।

चरण 2: फॉर्म भरे

NPS खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म CS-S1) व्यक्तिगत विवरण के साथ भरें।

चरण 3: दस्तावेज जमा करें

KYC दस्तावेज जमा करें (PAN अनिवार्य, आधार, पता प्रमाण, फोटो)।

चरण 4: योजना चुनें

ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस और परसिंपत्त आवंटन चुनें।

चरण 5: प्रारंभिक योगदान

प्रारंभिक योगदान करें (Tier-I के लिए न्यूनतम Rs. 500)।

चरण 6: PRAN जनरेशन

PRAN (स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या) जनरेट किया जाता है और आपको भेजा जाता है।

चरण 7: ऑनलाइन पहुंच

खाता प्रबंधन के लिए PRAN और OTP का उपयोग करके ऑनलाइन पहुंच सक्रिय करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1: Tier-I और Tier-II के बीच क्या अंतर है?

Tier-I अनिवार्य पेंशन खाता है जिसमें कर लाभ हैं लेकिन नकिसी प्रतर्बिंध हैं। Tier-II वैकल्पिक बचत खाता है जिसमें कोई कर लाभ नहीं है लेकिन लचीली नकिसी है।

Q2: क्या मैं अपना परसिंपत्त आवंटन बदल सकता हूँ?

हां, आप प्रतर्बितीय वर्ष दो बार परसिंपत्त आवंटन बदल सकते हैं। परविरतन ऑनलाइन या POP के माध्यम से कएि जा सकते हैं।

Q3: यदमैं नयिमति रूप से योगदान नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

खाता सक्रयि रहता है। योगदान चूकने के लएि कोई जुरमाना नहीं है, लेकिन आप उस वर्ष का कर लाभ खो देते हैं।

Q4: क्या मैं 60 वर्ष से पहले नकिसी कर सकता हूँ?

हां, 3 वर्ष बाद, आप कोष का 20% तक नकिल सकते हैं। शेष 80% को एन्युइटी खरीदने के लएि उपयोग करना होगा।

Q5: क्या NPS PPF से बेहतर है?

NPS संभावति रूप से उच्च रटिरन (बाजार-लकिड) और अतरिकित Rs. 50,000 कर कटौती प्रदान करता है, लेकिन बाजार जोखमि है। PPF नश्चिती रटिरन के साथ सुरक्षति है।

Q6: एन्युइटी क्या है?

एन्युइटी बीमा कंपनयिों से खरीदा गया एक पेंशन उत्पाद है। यह सेवानवृत्त के बाद नयिमति मासकि/तुरैमासकि पेंशन भुगतान प्रदान करता है।

Q7: क्या मेरे पास कई NPS खाते हो सकते हैं?

नहीं, प्रतर्बिक्ती केवल एक NPS खाता। PRAN अद्वतीय है और PAN से जुड़ा हुआ है।

Q8: शुल्क क्या है?

खाता खोलना: Rs. 200 (एक बार), वार्षकि रखरखाव: Rs. 95, लेनदेन शुल्क: Rs. 3.75 प्रतर्बियोगदान, फंड प्रबंधन: AUM का 0.01%।

महत्वपूर्ण नोट्स

- NPS रटिरन बाजार-लकिड है और गारंटीकृत नहीं है - रटिरन बाजार की स्थतियिों के आधार पर भन्रि हो सकते हैं।
- 50 वर्ष के बाद जोखमि प्रबंधन के लएि इक्वटी आवंटन स्वचालति रूप से कम हो जाता है।
- PRAN पोर्टेबल है - सभी POPs और फंड मैनेजरो में उपयोग कयिा जा सकता है।
- नामांकन अनविर्य है - नामांकन वविरण अपडेट कएि गए हैं यह सुनश्चिती करें।
- NPS खाता वश्चिषिट परस्थतियिों को छोडकर 60 वर्ष से पहले बंद नहीं कयिा जा सकता है।
- नयिमति योगदान चक्रवृद्ध के माध्यम से एक पर्याप्त सेवानवृत्त कोष बनाने में मदद करते हैं।
- आयु और जोखमि भूख के आधार पर समय-समय पर पोर्टफोलयिों की समीक्षा और पुनर्संतुलन करें।
- कर लाभों और दीर्घकालकि धन नर्रमाण के कारण NPS सेवानवृत्त यिोजना के लएि आदर्श है।